



Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission



Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन हर घर जल

ग्राम कार्ययोजना (बी०ए०पी०)

आर्यावर्त सेना एवं विकास संस्थान, लखनऊ

जल संबंधी सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। ग्राम पंचायत और/या हरघर की उप-समिति, अर्थात् बी०डब्ल्यू०एस०पी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और बी०डब्ल्यू०एस०एम०को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदितका जाती है। आई०एस०ए० द्वारा मार्गदर्शन/सहायता प्रदान किया जाता है।

1. तैयारी की तारीख 28/01/2020 उपस्थित कामवासीयो की संख्या-40

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख 04/10/2021

बी०डब्ल्यू०एस०एम० को प्रस्तुत किये जाने की तारीख

2. ग्राम का नाम पैसिया खाबू

ग्राम पंचायत का नाम पैसिया खाबू

विकारा खण्ड का नाम मोतानवां

जनपद का नाम साध्याहागंज

राज्य का नाम उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड 2011/183611

यदि लागू हो तो, बरित्तियों की संख्या और उनके नाम

1- ग्राम पंचायत संकल्प
3- ग्राम समुदाय की आवश्यकता 15 संख्या, गवेशी कुड्डो को और 55 संख्या, कमाडा घोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 10 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल०पी०सी०डी० जल की आपूर्ति वर्ष 2021 तक 2024 ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिये एफ०एच०डी०पी० प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतग्राम जल आपूर्ति अनसंखवना के अपनत्व, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकासियों का सम्मान करेंगे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संकुचित नहीं करेंगे। हम अपने गंदे जल की व्यवस्था करेंगे और गीले/साफ जल को बचावेंगे। यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी/लागत का 10% प्रतिशत और रख-रखाव लागत के परिमणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबन्धन में योगदान किया जाएगा। पानी की गुणवत्ताका प्रमाण पत्र पी०एच०डी०पी०/आर०डब्ल्यू०एस० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II- ग्राम पंचायत और /या हरघर की उप-समिति, अर्थात् बी०डब्ल्यू०एस०पी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4- कौन सी समिति ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

ग्राम पंचायत और/या उप-समिति पैसिया खाबू


समिति को क्या कहा जाता है आर्यावर्त सेना एवं विकास संस्थान

समिति के अध्यक्ष का नाम श्री माता सारिता देवी

लिंग महिला

आयु 27

क्र०स०	संरक्षक का नाम	लिंग	आयु	जाति	अन्य विवरण
1	श्रीमती सारिता देवी	महिला	27	कुर्मी	
2	इलाकती	महिला			
3	सुमेलवती	महिला			
4	मोहिनी	महिला		पठान	
5	शानवी	महिला		पठान	



6	पानवट/दर	2304	राजपुर
7	नियम	10	शुभ
8	अक्षयवती	महिला	कुम
9	अरती	"	
10	विन्दु	"	
11			
12			
13			
14			
15			

III- सामान्य विवरण

6	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	वर्तमान पंचायत/वार्ड/ग्रामपंचायत के अनुसार जनसंख्या
	नियंत्रण की संख्या	2320
	नहेरवालों की संख्या	350
	पुतलम की संख्या	1149
	बच्चों की संख्या	1200
	स्वयंसेवा समितियों की संख्या	52

7- जनसंख्या अनुमान

न्यूनतम वय - वर्तमान से 15 वर्ष वर्तमान जनसंख्या से 18 प्रतिशत वृद्धि

किलोमीटर/दिन के अनुसार अति वय वर्तमान से 30 वर्ष वर्तमान जनसंख्या में 2 प्रतिशत वृद्धि
किलोमीटर/दिन के अनुसार

8- वर्तमान नये की संख्या म्युनिसिपल स्टिकंड 75

9- कृषि कल पैटन स्वरीफ, रवी

ग्रह कल	उरोक	रवी
गुरु	✓	✓
शुक्र	✓	
मंगल	✓	
बुध	✓	
शनि	✓	✓

10- बीस्ट कल का निर्माण ने 13MM

11- स्थलाकृति समतल, इतान, आदि समतल

IV- स्थिति त्रिभुज

12- क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? हा / नहीं नहीं


ग्राम कार्ययोजना के साथ मानचित्र सलग करे

13- क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? हा / नहीं नहीं

ग्राम कार्ययोजना के साथ मानचित्र सलग करे

14-

क्र. सं.	सामाजिक संस्था का नाम	क्या स्वयंसेवा समिति सफल है? हा/नहीं	क्या ग्राम जल संचयन संचयन सफल है? हा/नहीं	संस्था गहवों की उपलब्धता? हा/नहीं



1	स्कूल	नहीं	नहीं	नहीं
2	आमनवाही	"	"	"
3	स्वास्थ्य केन्द्र	"	"	"
4	ग्राम पंचायत भवन	"	"	"
5	अन्य	"	"	"

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता 160,600 जनसंख्या दर 55 के०एल०डी० परि मरिक्त

मेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता के०एल०डी०

मेशी कुंडों की आवश्यक संख्या के०एल०डी०

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर 55 के० एल० डी० परि मरिक्त

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर 55 के०एल०डी०

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चकवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं

18. पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आर्थिक कार्य, स्रोत को गजबूत करनेका इतिवृत्त हाँ

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त हाँ


पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकरी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें के०एल०डी०

21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम अवस्थिति के०एल०डी०

स्रोत	मापदण्ड	तरीका	परिणाम
	मदगी	दृश्य तुलना	
	पीएच	पट्टी रंग तुलना	
	पूर्ण लवणता	टिटीमेटिक विधि	
	पूर्ण क्षारीयता	टिटीमेटिक विधि	
	क्लोराइड	टिटीमेटिक विधि	
	अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
	फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
	अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
	आयरन	दृश्य रंग तुलना	
	नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
	फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
	आर्सेनिक हाट स्पॉट में	दृश्य रंग तुलना	



करके धोने/ स्नान करने का स्थान

22- यह सुझाव है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में करके धोने/स्नान करने के लिए या मूल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अनिश्चित स्थानों की संख्या, जिन्में करके धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध करार जामे हैं

अनश्चिते का नाम	घरों की संख्या	आबादी
	45	235

स्रोत स्थापित

24- भू-जल स्रोत के मामले में क्या बोरेवेल रिचार्ज संरचना है? हा/नहीं हाँ

25- गांव में उन मौजूदा जल स्रोतों की सूची जिनका कामा कल्प/मरुत कार्य किया जाना आवश्यक है।

गंदे जल का प्रबंधन

26- उत्पन्न गंदे जल जल आपूर्ति का 65 प्रतिशत कोएलएलओ अलग-अलग सोखता गड्डों वाले परिवारों की संख्या

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्डों की आवश्यकता है

आवश्यक सानुदायिक सोखता गड्डों की संख्या

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? हा / नहीं हाँ

यदि हा तो क्या इसके लिए स्थान अनिश्चित किया गया है हाँ


यदि नहीं तो गंदे जल के प्रबंधन के लिए कौन से अन्य उपाय अपनाये जाने चाहिए

III- जल आपूर्ति योजना

27- निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफएचटीसी पदान केए जाएंगे

- * अतिन घोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत शुरू की गयी योजनाओं की रेटोफिटिंग
- * पूर्ण हो चुके आर डब्ल्यूएस की रेटोफिटिंग ताकि इसे जेजेएम के अनुकूल बनाया जा सके
- * निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल /स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या भारतीय जल वाले गावों में एसवीएस ✓
- * शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गावों में एसवीएस
- * वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एसवीएस ✓
- * मिनी सौर चर्जा आधारित पीडब्ल्यूएस जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है।

28- अनिश्चित जल स्रोत समुदाय आधारित तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना नियंत्रण एवं क्षमि आवंटित इस योजना के लिए



अभिनिर्धारित भूमि को सौंप दी जाएगी

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०एस० योजना की लागत **DRR के अनुसार** भारत सरकार का हिस्सा राज्य सरकार का हिस्सा ग्राम पंचायत/समुदाय का हिस्सा

आधिकारम 10%

व्यक्तिगत/घरेलू अंशदान

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क **50-100** व्यक्तिगत/घरेलू


मासिक जल आपूर्ति शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क **50-100** कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी०डब्ल्यू०एस०

III- मेल-जोल

निम्नलिखित तालिका में उन समाहित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29-

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	समाहित गतिविधिया जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवा वित्त आयोग ✓	ग्राम पंचायत ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, डेरेनेज सिस्टम आदि।	राज्य वित्त ✓
स्वच्छ भारत मिशन एस०डी०एम०-जी० ✓	प्याजल एव स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, सोखता गड्डे व्यक्तिगत/सामुदायिक अपशिष्ट, तलछट तालाब आदि।	ग्रामिण निधि ✓
एन०जी०एन०आर०ई०जी०एस०	ग्रामीण विकास मंत्रालय ✓	प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन एन०आर०एम० घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधिया	अनुभवों खाता से VWSC ✓
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आइग०डब्ल्यू०एम०पी०	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर०डब्ल्यू०एस० / कृत्रिम पुर्नभरण, जल निकायो का निर्माण /वृद्धि आदि	
जल भण्डारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर०के०वी०वाई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बन्धित कार्य	
ग्राममन्त्री कृषि सिंचाई योजना पी०एम०के०एस०वाई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्नजनन, वाटरशेड विकास आदि।	
ग्राममन्त्री कौशल विकास योजना पी०एम०के०एस०वाई०	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर०डब्ल्यू०एस० योजनाओं के लिए	✓



		आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि	✓
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	✓
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	थ्रजला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियां	
जिला खनिज विकास निधि डी०एम०ए०एफ०	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां	
एम०पी०एल०ए०डी०	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एम०ओ०एस०पी०आई०	अंत:ग्राम अवसंरचना	
एम०एल०ए०एल०ए०डी०	राज्य	अंत:ग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 1 के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना टी०एस०एस०	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंत:ग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			✓

अध्यक्ष के हस्ताक्षर.....

पी०एच०ई०डी० /आर०डब्ल्यू०एस० विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर.....

आई०एस०ए० प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर यदि लागू हो.....

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी०डब्ल्यू०एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष.....

ग्राम पंचायत सचिव का नाम और फोन नम्बर.....

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नम्बर.....

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए 5 महिलाओं के नाम और फोन नम्बर.....

1

2

3

4

5

प्प आपरेटर का नाम और फोन नम्बर.....

